रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 5, 1965 (ज्येष्ठ 15, 1887)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 5, 1965 (JYAISTHA 15, 1887)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 18 मई 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 18th May 1965 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तारीख (No and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
Nil			

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची
CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाए	309
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	429
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाए	23
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं .. .	277
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	843
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	1925
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	147
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	375
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	197
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	41
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2433
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	119
पूरक सं० 23—	
29 मई, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट ..	771
8 मई 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा कई बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	785

	Pages
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	309
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	429
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence	23
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence	277
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	843
PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1925
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	147
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	375
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	197
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2433
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	119
SUPPLEMENT No. 23—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 29th May 1965	771
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 8th May, 1965	785

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई, 1965

सं० 32-प्रेज०/65—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री सुच्चा सिंह,
हेड कान्स्टेबल (स्थानापन्न),
तीसरी बटालियन,
पंजाब सशस्त्र पुलिस,
पंजाब (मरणोपरान्त)

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 एवं 16 मार्च 1964 की रात्रि को सीमा पार से लुटेरों के एक दल ने जम्मू जिले के अखनूर तहसील के ग्राम भलवाल मोलू पर आक्रम किया तथा दो पुरुषों, एक स्त्री, एक बच्चे तथा दो पशुओं को भी मार दिया और दो मृतक व्यक्तियों के सिरों को काट कर ले गये। इस रोमान्चित घटना से समस्त क्षेत्र में आतंक फैल गया। सीमा अतिक्रमण की घटनाओं को रोकने के लिये उप निरीक्षक हरभजन के अधीन पंजाब सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन की एक प्लाटून को श्रेणीबद्ध मोर्चे लगाने के लिये तैनात किया गया।

16 मार्च 1964 की रात्रि को श्री हरभजन सिंह ने अपनी प्लाटून को तीन भागों में विभक्त कर महत्वपूर्ण स्थानों पर मोर्चा-बन्दी कर ली। उन्होंने स्वयं बीच वाली तथा सबसे महत्वपूर्ण मोर्चे वाली टुकड़ी का नेतृत्व सम्भाला। अर्ध-रात्रि के लगभग 40 सशस्त्र लुटेरे भलवाल मोलू ग्राम की ओर आते देखे गये। लुटेरों की संख्या अपने से चौगुनी देख कर श्री हरभजन सिंह ने थोड़ी सी प्रत्युत्पन्नमति द्वारा लुटेरों की अग्रिम टुकड़ी पर तुरन्त आक्रमण कर दिया तथा अगल-बगल की छिपी हुई टुकड़ियों को पूर्व निर्धारित संकेत द्वारा आक्रम से सम्मिलित कर लिया। इस भयंकर मुठभेड़ में श्री हरभजन सिंह, हेड कान्स्टेबल सुच्चा सिंह तथा अन्य सिपाहियों ने अत्यन्त कठिन स्थिति के होते हुये भी वीरता-पूर्वक युद्ध किया। लुटेरों के पीछे से भागने के एक प्रयास को अगल-बगल छिपी हुई टुकड़ियों ने विफल कर दिया।

इस मुठभेड़ में हेड कान्स्टेबल सुच्चा सिंह गम्भीर रूप से आहत हुये। अपनी घातक चोटों की चिन्ता न करते हुये उन्होंने लुटेरों से युद्ध जारी रखा तथा अपने साथियों को साहसपूर्वक उनका मुकाबला करने के लिये प्रेरित करते रहे। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जाने से इन्कार कर दिया तथा उस समय तक युद्ध करते रहे जब तक लुटेरे सीमा पार के साथियों द्वारा सुरक्षात्मक गोली-बारी के मध्य सीमा पार न हो गये।

श्री सुच्चा सिंह द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्ट वीरता, पहल एवं उदाहरणीय कर्तव्यपरायणता उनके प्लाटून को दिये गये कार्य की सफलता की पराकाष्ठा का एक अंग थी। श्री सुच्चा सिंह को चिकित्सालय ले जाया गया परन्तु चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी।

इस मुठभेड़ में श्री सुच्चा सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, पहल तथा उच्चतम कोटि की कर्तव्यपरायणता, जिसके पालने में उनका जीवन भी समाप्त हो गया, का परिचय दिया।

2. यह पदक, राष्ट्रपति पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 16 मार्च, 1964 से दिया जायगा।

सं० 33-प्रेज०/65—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री हरभजन सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक (स्थानापन्न),
तीसरी बटालियन, पंजाब सशस्त्र पुलिस,
पंजाब।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15 एवं 16 मार्च, 1964 को रात को सीमा पार के लुटेरों ने जम्मू जिले की अखनूर तहसील के भलवाल मोलू गांव के दो आदमी, एक स्त्री और एक बच्चे तथा दो मवेशियों को गोली से उड़ा दिया और मृतक व्यक्तियों में से दो के सिर काट कर ले गये। इस सनसनी फैलाने वाली घटना से वहां के सारे क्षेत्र में आतंक छा गया। इस घुसपैठ को रोकने के लिये उप-निरीक्षक हरभजन सिंह के नेतृत्व में पंजाब सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन की एक प्लाटून को नाके में बैठे रहने के लिये तैनात किया गया।

16 मार्च 1964 की रात को, उप निरीक्षक हरभजन सिंह ने अपनी प्लाटून को दबावाले वाली चौकी को संभालने के लिये तीन भागों में बांट दिया। उन्होंने स्वयं भी मध्य एवं अत्यन्त दांववाले वाली चौकी का चार्ज संभाला। आधी रात के करीब कुल 40 सशस्त्र लुटेरे भलवाल मोलू गांव की ओर आते हुये देखे गये। अपनी टुकड़ी से लुटेरों की चौगुनी संख्या देखकर श्री हरभजन सिंह ने असाधारण सतर्कता से तुरन्त लुटेरों की अग्रिम टोली पर हमला कर दिया और पूर्व-व्यवस्थित दिये गये संकेतों के अनुसार अगल-बगल की छिपी टुकड़ियों ने भी आक्रमण कर दिया। इसके बाद हुई भयंकर मुठभेड़ में उप-निरीक्षक हरभजन सिंह, हैड कान्स्टेबल सुच्चा सिंह तथा अन्य सिपाही अत्यन्त रुकावटों के बावजूद बहादुरी से लड़े। लुटेरों द्वारा घेरे को पीछे से तोड़ने का प्रयत्न अगल-बगल की छिपी टुकड़ियों ने विफल कर दिया।

इस मुठभेड़ के दौरान लुटेरों के अग्रिम दल के लगभग 10 व्यक्ति या तो मारे गये अथवा घायल हुये। उप-निरीक्षक हरभजन

सिंह के योग्य नेतृत्व में पुलिस दल ने अपने घावों की परवाह न करते हुये हमला किया और लुटेरों का तबतक पीछा किया जब तक लुटेरे सीमा पार की सेना की गोलियों की आड़ में अपनी सीमा में न लौट गये ।

इस मुठभेड़ में उप-निरीक्षक हरभजन सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना वीरता, पहलशक्ति और उच्च कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकृत विशेष भत्ता भी दिनांक 16 मार्च 1964 से दिया जायगा ।

वाई० डी० गंडेविया, राष्ट्रपति के सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 31 मई, 1965

सं० 1/4/65-ए०एन०एल०—अन्दमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति के लिए राष्ट्रपति जी नानकौरी द्वीप की रानी लक्ष्मी को, जिनका कार्यकाल 31 मार्च, 1965 को समाप्त हो गया था, फिर से मनोनीत करते हैं ।

रानी लक्ष्मी का कार्यकाल 31 मार्च, 1966 को समाप्त होगा ।

ए० डी० पांडे, संयुक्त सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान तथा धातु विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई, 1965

सं० 13(19)/63-एम० 4—खनिज मंत्रणा मण्डल का पुनः स्थापन गत खान तथा ईंधन विभाग (इस्पात खान तथा ईंधन मंत्रालय) के संकल्प संख्या 13(19)/57-एम० 4, दिनांक 12 दिसम्बर 1959 द्वारा हुआ था जो भारतीय राजपत्र भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित हुआ था । मण्डल की वर्तमान रचना सूचनार्थ तथा मार्ग दर्शन के हेतु अधिसूचित की जाती है ।

रचना

सभापति

इस्पात तथा खान मंत्री

सचिव

उप-सचिव (खनन) इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग)

सदस्य

1. सचिव भारत सरकार, इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग),
   संयुक्त सचिव (खनन) इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग),
2. महानिदेशक, भारतीय भौमिकी विभाग, कलकत्ता,
3. निदेशक भारतीय खान ब्युरो, नागपुर,
4. अलौह धातुओं की विकास परिषद के सभापति, इन में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि,
5. वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली,
6. वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली,
7. श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली,
8. विधि मंत्रालय, नई दिल्ली,
9. रेल मंत्रालय, नई दिल्ली,
10. इस्पात तथा खान मंत्रालय (खान तथा धातु विभाग), नई दिल्ली,
11. योजना आयोग, नई दिल्ली,
12. राज्य सरकारें, संयुक्त क्षेत्र तथा केन्द्रिय प्रशासित क्षेत्र,
13. भारत की खनिज तथा धातु पणन निगम लि०, नई दिल्ली,
14. हिन्दुस्तान स्टील लि०, रांची,
15. वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल का भारतीय संघ, नई दिल्ली,
16. भारतीय खनन संघ, कलकत्ता,
17. भारतीय खनन मण्डल, कलकत्ता,
18. भारतीय कोयला खान स्वामी संघ, धनबाद,
19. भारतीय अलौह धातु निर्माता संघ, कलकत्ता,
20. उत्कल खनन तथा उद्योग संघ, कलकत्ता,
21. भारतीय लोहयुक्त धातु उत्पादक संघ, बंबई,
22. गोआ खनिज अयस्क निर्यातक संघ, पंजिम,
23. मैसूर राज्य खान स्वामी संघ, बंगलौर,
24. राजस्थान उद्योग तथा खनन संघ, भिलवाड़ा,
25. (क) भारतीय भौमिकी, खनन तथा धातुकार्मिक समाज, कलकत्ता
    (ख) भारतीय खनन, भौमिकी, तथा धातुकार्मिक संस्था, कलकत्ता । } दोनों बारी-बारी एक-एक साल के लिए
26. (क) टाटा लोहा तथा इस्पात कम्पनी लि०, जमशेदपुर
    (ख) भारतीय लोहा तथा इस्पात कम्पनी लि०, कलकत्ता । } वही
27. (क) मध्य प्रदेश तथा विदर्भ खनन संघ, नागपुर
    (ख) खनिज उद्योग संघ, नागपुर । } वही
28. (क) पश्चिमी भारत खनिज संघ, बंबई
    (ख) बंबई क्षेत्र खान स्वामी संघ । } वही
29. (क) मद्रास माइका संघ गुदर खान
    (ख) दक्षिणी भारत माइका खान स्वामी संघ } वही
30. (क) कोदरमा माइका खनन संघ, कोदरमा
    (ख) बिहार तथा उड़ीसा माइका खनन संघ, गिरदीह } वही

सी० एस० वैनूगोपाल राव, उप-सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 मई, 1965

सं० 7/3/65-एफ०आई (एस०ए०)—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/19/64-एफ०आई०, तारीख़ 21 नवम्बर, 1964 के प्रकाशित फ़िल्मों के लिए राजकीय पुरस्कार

सम्बन्धी नियमावली के नियम 28 के अनुसार, सरकार ने 1964 की राजकीय फ़िल्म पुरस्कार केन्द्रीय समिति और प्रादेशिक समितियों की सिफारिशों के आधार पर, निम्नलिखित फ़िल्मों को पुरस्कार देने का निर्णय किया है:—

क्रम संख्या	फ़िल्म का शीर्षक	निर्माता/निर्देशक/कहानी-लेखक का नाम	पुरस्कार
(1)	(2)	(3)	(4)
		1—अखिल भारतीय पुरस्कार	
	(क) कथा (रूपक) चित्र		
1.	चारुलता (बंगला)	**निर्माता**—श्री आर० डी० बंसल, 45, धरमतोला स्ट्रीट, कलकत्ता-13। **निर्देशक**—श्री सत्यजीत राय, 3, लेक टैम्पल रोड, कलकत्ता-29।	राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और इसके निर्माता को 20,000 रुपये (बीस हज़ार रुपये) तथा इसके निर्देशक को 5,000 रुपये (पांच हज़ार रुपये) का नकद पुरस्कार।
2.	हक़ीकत (हिन्दी)	**निर्माता**—श्री चेतन आनन्द, 2, रूया पार्क, जुहू, बम्बई-54। **निर्देशक**—श्री चेतन आनन्द, 2, रूया पार्क, जुहू, बम्बई-54।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र और इसके निर्माता को 10,000 रुपये (दस हज़ार रुपये) तथा इसके निर्देशक को 2,500 रुपये (दो हज़ार पांच सौ रुपये) का नकद पुरस्कार।
3.	उन्नैपोल ओरुवन (तमिल)	**निर्माता**—श्री डी० जयकान्तन, मार्फ़त आशिय ज्योति फ़िल्म्स, 2, दनकोटियम्माल स्ट्रीट, मद्रास-18।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।
4.	आरोही (बंगला)	**कहानी लेखक**—श्री बालैचन्द मुकर्जी, सोलकुठी, अदमपुर, पो० ओ०, भागलपुर (बिहार)।	सर्वोत्तम कहानी लेखक को अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र।
	(ख) वृत्त-चित्र (डाकुमेंट्री फिल्में)		
1.	अपान्ल आफ़ दि इंडीस (अंग्रेज़ी)	**निर्माता**—फ़िल्म विभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26। **निर्देशक**—श्री टी० ए० अब्रहम, मार्फ़त फ़िल्म विभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई-26।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाण-पत्र और इसके निर्माता को 1,000 रुपये (एक हज़ार रुपये) तथा इसके निर्देशक को 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) का नकद पुरस्कार।
2.	वन डे (अंग्रेज़ी)	**निर्माता**—श्री जगत मुरारी, प्रिंसिपल, फ़िल्म इन्स्टीट्यूट आफ़ इंडिया, चिपलकर रोड, पूना-4। **निर्देशक**—श्री मैकल विन, आई०डी०एच० ई०सी०, 92-चैम्स इलीसीज़, पैरिस।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाणपत्र और इसके निर्माता को 1,000 रुपये (एक हज़ार रुपये) तथा इसके निर्देशक को 250 रुपये (दो सौ पचास रुपये) का नकद पुरस्कार।
3.	आल अंडर हैवन बाई फ़ोर्स (अंग्रेज़ी)	**निर्माता**—श्री जे० बी० एच० वाडिया, वाडिया मूवीटोन, जावेरी बिल्डिंग, 136, चमर बाग रोड, परेल, बम्बई-12।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाणपत्र।
4.	एण्ड माइल्स टू गो (अंग्रेज़ी)	**निर्माता**—श्री एस० सुखदेव, 27, राधा भवन, किंग सर्कल, बम्बई-19।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाणपत्र।
	(ग) शैक्षणिक चित्र		
1.	स्टेरिलाइज़ेशन आफ़ दि फ़िमेल (अंग्रेज़ी)	**निर्माता**—फ़िल्म विभाग, 24-पैडर रोड, बम्बई 26।	अखिल भारतीय योग्यता प्रमाणपत्र।
	कथा चित्र	**2—प्रादेशिक पुरस्कार**	
	(क) अंग्रेजी		
1.	अवलांश	**निर्माता**—सर्वजीत सिंह, मार्फ़त दीपक देसाई, मटुंगा, बम्बई-19।	राष्ट्रपति का रजत पदक।
	(ख) हिन्दी		
1.	दोस्ती	**निर्माता**—श्री ताराचंद बड़जात्या, राजश्री प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, तारदेओ बिल्डिंग, तारदेओ, बम्बई-34।	राष्ट्रपति का रजत पदक।

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	यादें	**निर्माता**—श्री सुनील दत्त, 58 पाली हिल, बांदरा, बम्बई ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
3.	गीत गाया पत्थरों ने	**निर्माता**—श्री वी० शान्ताराम प्रोडक्शन्स प्रा० लि०, "शांतश्री" गवर्नमेंट गेट रोड, परेल, बम्बई-12 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
	(ग) **कश्मीरी**		
1.	म्यंज रात	**निर्माता**—श्री एम० आर० सेठ, प्रकाश निवास, न्यू कालोनी, 137, कुरला रोड, अंधेरी (ईस्ट), बम्बई-69 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
	(घ) **मराठी**		
1.	पाठलाग	**निर्माता**—श्री राजा परांजपे, नामी निवास, तिलक रोड, पूना-2 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	तुका झालासे कलस	**निर्माता**—श्री एन० जी० दातार, "जय विजय" V रोड, घट कोपर, बम्बई-77 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
3.	सवाल माझा एका	**निर्माता**—श्री अनंत गोविंद माने, 759/51, दक्कन जिमखाना, पूना-4 ।	योग्यता प्रमाण पत्र ।
	(ङ) **पंजाबी**		
1.	जग्गा	**निर्माता**—श्री के० वी० चड्ढा, मैसर्स फ़िल्मेज, 200, फैमस सिने बिल्डिंग, महालक्ष्मी, बम्बई-11 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
	(च) **असमिया**		
1.	प्रतिध्वनि	**निर्माता**—कामरूप चित्रा, 77/बी, गाल्फ क्लब रोड, कलकत्ता-33 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
	(छ) **बंगला**		
1.	आरोही	**निर्माता**—श्री असीम पाल, 11-सी, दिल-कुस स्ट्रीट, कलकत्ता-17 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	अनुष्टुप छन्द	**निर्माता**—श्री बी० के० प्रोडक्शन्स, 1/ए, विक्टोरिया चैम्बर्स, कलकत्ता-13 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
	(ज) **उड़िया**		
1.	साधना	**निर्माता**—डेमंड वैली प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, सम्बलपुर, उड़ीसा ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	नव जन्म	**निर्माता**—पंच सखा पिक्चर्स, भागलपुर, कटक ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
	(झ) **कन्नड़**		
1.	चंदा वलिय तोटा	**निर्माता**—पाल्स एंड को०, 7, बुड्स रोड, माऊंट रोड, मद्रास-2 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	नवजीवन	**निर्माता**—श्री यू० एस० बादीराज, और श्री यू० जवाहर, श्री भारती चित्र, 29-जी, कोइल स्ट्रीट, मद्रास-7 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
3.	मने आलिया	**निर्माता**—श्री ए० वी० सुब्बाराव, 120, हबीबुल्ला रोड, त्याग राय नगर, मद्रास-17।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
	(ञ) **मलयालम**		
1.	तच्चोली ओतेनन	**निर्माता**— चंद्रतारा प्रोडक्शन्स, 32, वैंकटानारायण रोड, मद्रास-17 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	आदिया किरणगल	**निर्माता**—श्री वी० अब्दुल्ला, मैसर्स चित्र सागर, 18 जी० एन० चैंटी रोड, त्याग राय नगर, मद्रास-17 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र
3.	कुटुम्बिनी	**निर्माता**—श्री पी० ए० थामस, 1-जे० डा० सी० पी० रामास्वामी अय्यर रोड, मद्रास-18 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।

(1)	(2)	(3)	(4)
(ट) **तमिल**			
1.	के कोडुत दैवम . . .	**निर्माता**—एम० एस० वेलप्पन, 15, जी० एन० चैटी रोड, मद्रास-17 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	पजनी . . .	**निर्माता**—भारतमाता पिक्चर्स, 12, फ़र्स्ट क्रोस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, मद्रास-24 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
3.	मरबर सुन्दरम् . . .	**निर्माता**—ए० वी० एम० प्रोडक्शन्स, आरकाट रोड, मद्रास-26 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।
(ठ) **तेलुगु**			
1.	डाक्टर चक्रवर्ती . .	**निर्माता**—श्री डी० मधुसूधन राव, मैसर्स अन्नपूर्ण पिक्चर्स प्राइवेट, लिमिटेड, 34-भागीरथम्माल स्ट्रीट, मद्रास-17 ।	राष्ट्रपति का रजत पदक ।
2.	रामदासु . . .	**निर्माता**—श्री वी० एन० फ़िल्म्स, 33, दामोदर रेड्डि स्ट्रीट, मद्रास-17 ।	योग्यता प्रमाण-पत्र ।

हृदय नारायण अग्रवाल, उप-सचिव

शिक्षा मंत्रालय

नयी दिल्ली, दिनांक 13 मई, 1965

सं० एफ-1-5/63 पी०ई-2—अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय की 16 जुलाई 1963 की अधिसूचना सं० एफ-1-5/63 पी०ई०-2 में आंशिक संशोधन करते हुए, श्री वी० टी० दहेजिआ के स्थान पर, वित्त मंत्रालय में वित्त सलाहकार, श्री के० एन० चन्ना को अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् के एक सदस्य के रूप में नामजद किया गया है ।

नलिन माधव ठाकुर, सहायक शिक्षा सलाहकार

परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

नयी दिल्ली, दिनांक मई, 1965

संकल्प

अन्तर्देशी जल परिवहन

सं० 4 आई० डब्लू० टी० (16)/65—भारत सरकार ने निश्चय किया है कि 29 जून, 1964 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक श्री सी० वी० वेंकटेश्वरन् के स्थान पर परिवहन मंत्रालय के विकास सलाहकार, श्री के० एन० श्रीनिवासन, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मण्डल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । इस क्षमता में वे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मंडल की बैठकों का सभापतित्व और मंडल के प्रशासनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन मंडल के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के समस्त मंत्रालयों तथा संबद्ध राज्य सरकारों के विभागों को भेज दी जाए ।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

जसवंत सिंह, अवर सचिव

पत्तन

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल, 1965

सं० 7-पी० जी०(7)/65—भारत सरकार को मारमोगाव पत्तन की 1963-64 की प्रशासनिक रिपोर्ट मिल गई है । रिपोर्ट की मुख्य विशिष्टताओं की समीक्षा नीचे की जाती है ।

1. वित्तीय स्थिति : पुनर्विलोकित वर्ष में मारमोगाओ पत्तन का सम्पूर्ण राजस्व 124.52 लाख रुपया था (इसमें कनहारों से प्राप्ति भी शामिल है) । 1962-63 में यह राशि 125.74 लाख रुपया थी । राजस्व में कमी के मुख्य कारण ये हैं, वास्को-दागामा से कोलेम तक की मुख्य रेलवे लाइन को 1 मई 1963 से दक्षिणी रेलवे को सौंप दिया जाना । इसके कारण रेलवे से प्राप्ति में कमी हुई । कच्ची धातु के निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप घाट देय में वृद्धि के कारण और कुछ रेलवे का सामान और रद्दी माल की बिक्री से विशेष प्राप्ति के कारण कमी की कुछ पूर्ति हुई है ।

1963-64 में व्यय की राशि 45.26 लाख रुपया थी । 1962-63 में यह संख्या 64.27 लाख रुपया थी । व्यय में कमी का कारण वास्को-दागामा से कोलेम की मुख्य रेलवे लाइन का दक्षिण रेलवे को हस्तांतरित हो जाना था । इसके कारण इंजनों, डिब्बों और वैगनों के चालन और देख-रेख के व्यय में, पटरियों की देख-रेख के व्यय में और यातायात विभाग के कर्मचारियों के व्यय में कमी हुई ।

उपरोक्त व्यय में पूंजी और ऋण के ब्याज की अदायगी तथा आरक्षित निधि में स्थानान्तरित पूंजी सम्मिलित नहीं है ।

2. यातायात : इस वर्ष मारमोगाओ पत्तन में ढोया गया माल का सम्पूर्ण टनभार 59,58,212 टन था । पिछले वर्ष यह संख्या 54,67,776 टन था । यातायात संख्याएं अलग अलग इस प्रकार हैं :—

	1962-63	1963-64
आयात	1,13,870	1,17,251
निर्यात	53,53,906	58,40,961

निर्यात मुख्यत : कच्ची धातुओं का हुआ । 1962-63 में 52,61,047 टन का निर्यात हुआ था और इस वर्ष 57,39,223 टनों का ।

3. बेतुल पर व्यापार : 1963-64 में बेतुल से कच्ची धातु का कुल निर्यात 1,51,031 टन का हुआ । 1962-63 में यह संख्या 1,49,007 टन थी ।

4. जहाजरानी : 1963-64 में पत्तन में 47,25,807 कुल टन भार के (594 जहाज आये । 1962-63 में 45,72,007 कुल टनभार के) 622 जहाज आये थे । 1963-64 में यद्यपि 1962-63 की अपेक्षा कम जहाज आये मगर कुल टन भार में वृद्धि हुई । इसका कारण पत्तन में आने वाले जहाजों की लंबाई और डुबाव पर लगाई गई सीमा में ढील देना था ।

5. पूंजीगत निर्माण कार्य : 1963-64 में पूंजीलेखा पर 11,28,307 रुपये का व्यय किया गया । इस वर्ष जिन महत्व-पूर्ण निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया उनमें से कुछ ये हैं :—

निर्माण कार्य	व्यय (लाख रुपयों में)
ढलाई कारखाने का निर्माण	0.51
कारखाने का विस्तार	0.47
नहर और घुमाऊक्षेत्र में निकर्षण	0.16
समुद्री और स्थल सर्वेक्षण के लिये यंत्र	0.19
चार ज्वार नावकों का लगाया जाना	0.15
नहर और घुमाऊक्षेत्र में वेधन	0.41
कारखाने के चारों ओर एक संयुक्त दीवार का निर्माण	0.28
एक नए निकर्षण की प्राप्ति	8.97

6. पत्तन रेलवे : परिवहन मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और पत्तन अधिकारियों के बीच में हुये समझौते के अनुसार, वास्को-दागामा से कोलेम तक का रेल का सेक्शन 1 मई 1963 से दक्षिणी रेलवे को दे दिया गया । इसके बाद अधिकारियों का दायित्व वास्को-दागामा और मारमोगाओ बन्दरगाह के बीच केवल माल यातायात का ही रह गया है ।

7. विदेश यात्री सेवा : भारत के नौपरिवहन निगम का वाष्पपोत "स्टेट आफ बांबे" पत्तन पर अफ्रीका जाते हुये 3-5-63 को पहुंचा । इस उद्घाटन यात्रा से स्वतंत्रता के पश्चात् गोवा और अफ्रीका के बीच विदेश यात्री-सेवा का फिर से प्रचलन हो गया ।

1963-64 में मारमोगाओ पत्तन पर 15,174 यात्री जहाज पर चढ़े और 15,163 यात्री जहाज से उतरे ।

8. मजदूर स्थिति : विचाराधीन वर्ष में बिचवालों, बजरा कर्मियों और टोली मजदूरों ने कुछ समय के लिये काम बन्द कर दिया था । 9 नम्बर, 1963 को इन तीनों श्रेणियों के मजदूरों और उनके मालिकों के बीच समझौता हो गया और उस पर हस्ताक्षर कर दिये गये । वह समझौता प्रतिवेदित वर्ष के अंत तक ठीक कार्य करता रहा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति समस्त संबद्ध जनों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता कि सामान्य सूचना के लिये यह संस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई, 1965

संस्ताव

सं० 1-टी०(150)/64—जीवन क्षम परिवहन एकांशों के निर्माण की आवश्यकता सामान्यतया अभिज्ञात की जा चुकी है और इस प्रयोजन के लिये चालकों को अभिप्रेरणा भी दी गई है किन्तु सड़क-परिवहन उद्योग अधिकांशत: एक गाड़ी के स्वामियों के हाथ में रहता रहा है । चतुर्थ योजना काल में सड़क परिवहन पद्धति के विकास और वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन के हमारे कार्यक्रम के संदर्भ में इस उद्योग को ठीक मार्ग पर संगठन ने महत्व प्राप्त कर लिया है । यदि और अधिक देरी न कर कार्यकर उपाय नहीं किये जायेंगे तो मोटर वेहिकिल्स एक्ट 1939 की नियामक व्यवस्थाओं को लागू करना और जनता के लिए किफायती तथा निर्भर योग्य परिवहन सेवाओं का सुनिश्चयन करना उत्तरोत्तर कठिन हो जायेगा । यह एक ऐसा मामला है जिसमें नीति की एकरूपता और कार्य की संभूयकारिता की समस्त राज्यों में आवश्यकता है ।

2. इस संबंध में यह भी सुझाव दिया गया है कि सांविधिक मान्यता देने से या किसी तरह मौजूदा मोटर गाड़ी संगठनों, जो गैर-सरकारी मोटर मालिकों के हितों की सेवा करते हैं, की अपेक्षा अधिक विस्तृत प्रकार्य और दायित्व वाले परिवहन चालकों के संगठनों को सरकारी प्रश्रय देने से इस उद्योग में सुधार होगा ।

3. इस मामले पर जुलाई 1964 में हुई परिवहन विकास परिषद् की बैठक में सोच विचार किया गया । परिषद् ने सिफारिश की कि परिवहन के केन्द्रीय मंत्रालय को एक अध्ययन दल की स्थापना करनी चाहिये जो ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित सुझावों के आशय का परीक्षण करे और जीवन क्षम परिवहन एकांशों के निर्माण की समस्त समस्याओं का विस्तृत परीक्षण करे ।

4. अतएव निम्न व्यक्तियों के एक अध्ययन दल की नियुक्ति का निर्णय किया गया है :—

1.	श्री एस० मलिक, परिवहन सचिव, पश्चिम बंगाल की सरकार ।	अध्यक्ष
2.	श्री वाई० एस० कसबेकर, परिवहन के निदेशक, महाराष्ट्र, बंबई ।	सदस्य
3.	श्री डी० पी० वरुण, उप परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उत्तर प्रदेश ।	सदस्य
4.	श्री सी० सुन्दरामूर्ति, उप परिवहन आयुक्त, मद्रास ।	सदस्य
5.	श्री हुमायं यार खां, परिवहन आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश ।	सदस्य
6.	श्री आर० बी० माथुर, प्रवर अनुसंधान अधिकारी, योजना आयोग ।	सदस्य
7.	श्री कुन्दन लाल, महा सचिव, अखिल भारतीय मोटर संघ कांग्रेस, नई दिल्ली ।	सदस्य
8.	श्री टी० एस० सन्थानम, 37, माउंट रोड, मद्रास-6 ।	सदस्य
9.	श्री मनोहर सिंह घोदी, सिंध परिवहन कम्पनी, रेई रोड, बंबई-10 ।	सदस्य
10.	श्री एस० एस० भटनागर, उप सचिव, परिवहन मंत्रालय ।	सदस्य-संयोजक

5. अध्ययन दल के निर्देश की शर्तें ये होंगी :—

(1) सार्वजनिक गाड़ियों, टैक्सियों और स्टेन गाड़ियों के लिये जीवन क्षम एकांश के आकार का सुझाव और उनके प्रोत्साहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक पगों का उठाया जाना ।

(2) महत्वपूर्ण यातायात केन्द्रों में शाखाओं के जाल सहित प्रत्येक राज्य में एक या इससे अधिक संगठनों की स्थापना करने की औचित्यता पर विचार करना। इन का काम होगा (क) मरम्मत सुविधाओं और सेवा टूट जाने पर सहायता की व्यवस्था करना, (ख) परिवहन में ट्रक और बस ड्राइवरों के लिये विश्राम गृहों, सीमांत भवनों, और गोदामों का निर्माण करना, (ग) बुकिंग, जमा करने वाली, भेजने वाली और विस्तरित करने वाली एजेंसियों की स्थापना करना, (घ) ड्राइवरों और कन्डक्टरोंके लिये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, (ङ) कर देयता तय करना, और (च) सदस्यों के लिये इसी प्रकार की अन्य सेवायें करना ;

(3) ऊपर (2) में उल्लिखित संगठनों में राज्य परिवहन संस्थानों के कार्य का अध्ययन करना ;

(4) ऐसे संगठनों में निहित किये जाने वाले दायित्वों और विशेषाधिकारों का सुझाव देना ;

(5) उद्योग को ठीक तरह से संगठित करने के लिये अन्य आवश्यक उपायों की शिफारिश करना ।

6. अध्ययन दल का मुख्य कार्यालय नयी दिल्ली में होगा किन्तु इस काम के प्रयोजन के लिये वह जिस स्थान को उचित समझेगा वहां जा सकेगा ।

7. अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट नौ महीने की अवधि में पेश कर देगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संस्ताव की एक प्रति सब संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाये और सामान्य सूचना के लिये उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

पत्तन

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1965

सं० 6-पी० जी० (53)/64—भारत सरकार को कोचीन पत्तन की 1963-64 की प्रशासनिक रिपोर्ट मिल गई है । रिपोर्ट की प्रमुख बातें नीचे दी जाती हैं :—

1. वित्तीय परिणाम

(क) पत्तन निधि:— इस वर्ष पत्तन की राजस्व प्राप्ति 167.38 लाख रुपया रही (इसमें कनहारी लेखा और विशेष प्राप्ति शामिल नहीं है) इसकी तुलना में 1962-63 में राजस्व प्राप्ति 136.04 लाख रुपया थी । आमदनी में वृद्धि का मुख्य कारण आयातों से प्राप्ति, क्रेन शुल्क और संयत्र भूमि और इमारतों के किरायों तथा ब्याज और विभिन्न में बृद्धि है ।

विचाराधीन वर्ष में व्यय (इसमें कनहारी लेखा, आरक्षित निधि का अंशदान और पूंजी लेखा का व्यय शामिल नहीं है) 125.14 लाख रुपया हुआ । 1962-63 में यह राशि 126.25 लाख रुपया थी ।

पूंजी लेखा को 25 लाख रुपये का अंशदान दिया गया । विभिन्न आरक्षित निधियों को निम्न अंशदान दिये गये :

	राशि (रुपये लाख में)
राजस्व आरक्षित निधि	1.00
दुर्घटना निधि	0.99
पुनर्नवन और पुन: पूंजीयन निधि	2.98

(ख) कनहारी लेखा : 1963-64 में कुल आमदनी और व्यय क्रमश: 7.19 लाख रुपये और 5.06 लाख रुपये रहा । इसके परिणामत: 2.13 लाख रुपये अधिशेष रहे ।

(ग) आरक्षित निधि : वर्ष के अन्त में विभिन्न निधियों के बारे में बचत की स्थिति सन्तोषजनक रही ।

(घ) ऋण : विचाराधीन वर्ष में ऋण प्रभार कुल 23.88 लाख रुपया था । इसके पिछले वर्ष यह राशि 19.24 लाख रुपया थी । वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पत्तन का बाकी ऋण 340.49 लाख रुपया था । इसमें से 285.66 लाख रुपया भारत सरकार का देय था, और शेष केरल सरकार का ।

2. यातायात

(क) व्यापार : 1963-64 में पत्तन में आयात की कुल टन भार संख्या 20.34 लाख टन थी । इसके पिछले वर्ष यह संख्या 19.59 लाख टन थी । इस प्रकार 0.75 लाख टन या 3.82 प्रतिशत की वृद्धि रही । यह वृद्धि खनिज तेल, काजू, मशीन, नमक तथा अन्य सामान के अधिक आयात के कारण हुई ।

1963-64 में 4.22 लाख टन का निर्यात हुआ । पिछले वर्ष 4.03 लाख टन का निर्यात हुआ था । इस प्रकार निर्यात में 0.19 लाख टन की वृद्धि रही । यह वृद्धि नारियल की जटा के सामान, रबर, काली मिर्च कोपरा, झींगा और अन्य विभिन्न सामानों के निर्यात के कारण हुई ।

(ख) यात्री यातायात : वर्ष के दौरान जहाजों पर चढ़ने और उतरने वाले यात्रियों की कुल संख्या क्रमश: 1446 और 1892 रही । पिछले वर्ष यह संख्या 1690 और 1646 थी ।

(ग) नौचालन : 1963-64 में पत्तन में आने वाले जहाजों की संख्या 46.48 लाख कुल टन भार के 1356 जहाजों की थी । इसमें पालपोतों की संख्या शामिल नहीं है । पिछले वर्ष की ये संख्याएं क्रमश: 44.80 लाख टन और 1330 जहाज थी । इस वर्ष पत्तन में आने वाले पालपोतों की सं० 113 थी और उनका कुल टन भार लगभग 13,000 था । 1962-63 में 131 पाल-पोत आये थे और उनका कुल टन भार लगभग 16,000 था ।

इस वर्ष सब से लंबा जहाज जो पत्तन में आया वह 704 फुट ओ० ए० का आई० एन० एस० "विकान्त" था । 569 फुट ओ० ए० का तथा 13238 कुल टन भार का वाणिज्य पोत "बारडर चीफटेन" सबसे लंबा और बड़ा जहाज था । 31 फीट डुबाव का एस० एस० "कालटेक्स ग्लासगो" सबसे अधिक डुबाव वाला वाणिज्य पोत था जो इस वर्ष इस पत्तन में आया ।

3. श्रम और कल्याणकारी उपाय : इस वर्ष कर्मचारियों के बालकों को 66 छात्रवृत्तियां दी गईं । सदा की तरह पुस्तकालय और वाचनालयों, भीतरी और बाहरी खेलों, चिकित्सा सहायता आदि की सुविधायें दी जाती रहीं । ये सुविधायें बोझा ढोने वाले मजदूरों को भी दी गईं ।

मजदूर संघ और प्रशासन में पूर्ववत मैत्री पूर्ण सम्बन्ध रहे । चार घाट परियोजना की पूर्ति पर मजदूरों को छटाई की संपूर्ति के रूप में 1.28 लाख रुपये की राशि दी गई ।

4. पूंजीगत निर्माण कार्य : अप्रैल, 1955 में इरनाकुलम. जलमार्ग में सहायक सुविधाओं के साथ जो अतिरिक्त चार घाट बर्थों का निर्माण प्रारंभ किया गया था वह पूरा हो गया और अगस्त 1963 तक चारों घाटों पर काम शुरू हो गया । इरनाकुलम जलमार्ग में टैंकर बर्थ के तथा दूसरी कोयला बर्थ का निर्माण कार्य और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल का विस्तार कार्य सम्पूर्ण होने को है । तैरते दफ्तरों की व्यवस्था का निर्माण कार्य होना बाकी है किन्तु वह भी पूरा होने वाला है ।

निर्कर्षण और उद्धरण, पारगमन छादनों का निर्माण, रेलवे साइडिंग का निर्माण, घाट क्षेत्र में सड़कों और नालियों का निर्माण, तेल रखने के लिये पाइप लाइनों के निर्माण कार्य ने ठोस प्रगति की

है । इरनाकुलम जलमार्ग में एक खुलाघाट बनाने से संबन्धित प्रारंभिक निर्माण कार्य भी प्रगति पर है ।

5. विविध :

29 फरवरी, 1964 से मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 के अधीन इस पत्तन के लिये एक पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड की स्थापना की गई है । बोर्ड की पहली बैठक 24 मार्च, 1964 को हुई थी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि समस्त संबद्ध जनों को भेज दी जाये और भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी जाये ।

नरेन्द्र पाल माथुर, सह-सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 25th May 1965

No. 31-*Pres./65.—Corrigendum*—In this Secretariat Notification No. 13-Pres./65, dated the 26th January, 1965, published in Hindi and English, in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated Saturday, the 30th January, 1965, in serial No. 1, against the name of Major Ram Singh (IC-6366), Signals—

On page 41

For "(लापता)"

Substitute "(लापता, अनुमानित मारा गया)"

On page 44

For "(Missing)".

Substitute "(Missing, presumed killed)".

V. J. MOORE, Dy. Secy.

New Delhi, the 26th May 1965

No. 32-*Pres/65.*—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name of the officer and rank

Shri Sucha Singh,
Head Constable (*Officiating*),
3rd Battalion,
Punjab Armed Police,
Punjab. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 15th/16th March, 1964, raiders from across the border shot dead 2 men, a woman and a child, and also two cattle in village Bhalwal Molu of Akhnoor Tehsil, District Jammu and carried away the heads severed by them from two of the dead persons. This sensational incident created wide-spread panic in the whole area. In order to check the infiltrators, a platoon of the 3rd Punjab Armed Police Battalion under the Command of Sub-Inspector Harbhajan Singh was detailed for setting up a series of ambushes.

On the night of the 16th March, 1964, Sub-Inspector Harbhajan Singh divided his force into three sections, each taking up a strategic ambush point. He himself took charge of the central and most strategic ambush point. At about mid-night some 40 armed raiders were noticed heading towards the village Bhalwal Molu. Finding the strength of the raiders four times the number of his own force Shri Harbhajan Singh, with rare presence of mind, immediately attacked the leading section of the raiders and by giving prearranged signals brought the flanking ambush parties into the attack. In the fierce encounter that ensued, Shri Harbhajan Singh, Head Constable Sucha Singh and others fought bravely against heavy odds. An attempt by the raiders to break through the rear was repulsed by the flanking ambush parties.

During this encounter Head Constable Sucha Singh was seriously wounded. Undettered by his fatal injuries, he continued to fight the raiders and inspired others to face them courageously. He refused to be evacuated and continued to attack and pursue the enemy till they crossed the border under the covering fire provided by their forces from across the border.

The conspicuous gallantry, initiative and exemplary devotion to duty shown by Shri Sucha Singh was one of the chief factors contributing to the successful culmination of the task assigned to his platoon. Shri Sucha Singh was removed to hospital but succumbed to his injuries.

In this encounter Shri Sucha Singh displayed conspicuous galantry, initiative and devotion to duty of the highest order in the performance of which he laid down his life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th March, 1964.

No. 33-*Pres./65.*—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name of the officer and rank

Shri Harbhajan Singh,
Sub-Inspector of Police (*Officiating*),
3rd Battalion, Punjab Armed Police,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 15th/16th March, 1964, raiders from across the border shot dead two men, a woman and a child and also two cattle in village Bhalwal Molu of Akhnoor Tehsil, District Jammu, and carried away the heads severed by them from two of the dead persons. This sensational incident created wide-spread panic in the whole area. In order to check the infiltrators, a platoon of the 3rd Punjab Armed Police Battalion under the command of Sub-Inspector Harbhajan Singh was detailed for setting up a series of ambushes.

On the night of the 16th March, 1964, Sub-Inspector Harbhajan Singh divided his force into three sections, each taking up a strategic ambush point. He himself took charge of the central and most strategic ambush point. At about mid-night some 40 armed raiders were noticed heading towards the village Bhalwal Molu. Finding the strength of the raiders four times the number of his own force, Shri Harbhajan Singh, with rare presence of mind, immediately attacked the leading section of the raiders and by giving prearranged signals brought the flanking ambush parties into the attack. In the fierce encounter that ensued, Sub-Inspector Harbhajan Singh, Head Constable Sucha Singh and others fought bravely against heavy odds. An attempt by the raiders to break through the rear was repulsed by the flanking ambush parties.

During the encounter about 10 persons of the leading section of the raiders were either killed or injured. Inspite of injuries, the police party under the able leadership of Sub-Inspector Harbhajan Singh attacked and pursued the raiders till they crossed the border under the covering fire provided by their forces from across the border.

In this encounter Sub-Inspector Harbhajan Singh exhibited gallantry, initiative and devotion to duty of a high order in utter disregard for his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 16th March, 1964.

Y. D. GUNDEVIA, Secy. to the President.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi-*11, *the* 31*st May* 1965

No. 1/4/65/-*ANL.*—The President is pleased to renominate Rani Lakshmi of Nancowrie to the Advisory Committe in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Islands, whose term expired on 31st March, 1965.

The term of Rani Lakshmi will expire on the 31st March, 1966.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines and Metals)

New Delhi, the 21*st May* 1965

No. 13(19)/63-*MIV.*—The Mineral Advisory Board was reconstituted in the late Department of Mines & Fuel (Ministry of Steel, Mines and Fuel)'s Resolution No. 13(19)/57-MIV, dated the 12th December, 1959, published in the Gazette of India, Part I, Section1, dated 19-12-1959. The present composition of the Board is hearby notified for information and guidance :—

COMPOSITION

Chairman

Minister of Steel and Mines.

Secretary

Deputy Secretary (Mining), Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals).

Members

(i) Secretary to the Government of India, Ministry of Steel and Mines (Department of Mines & Metals). Joint Secretary (Mining), Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals) (Alternate Member);

(ii) Director General, Geological Survey of India; Calcutta.

(iii) Director, Indian Bureau of Mines, Nagpur.

(iv) Chairman, Development Council for Non-ferrous Metals; New Delhi.

One representative each of the

(v) Ministry of Commerce, New Delhi.

(vi) Ministry of Finance, New Delhi.

(vii) Ministry of Labour & Employment, New Delhi.

(viii) Ministry of Law, New Delhi.

(ix) Ministry of Railways, New Delhi.

(x) Ministry of Steel and Mines (Department of Iron & Steel), New Delhi.

(xi) Planning Commission, New Delhi.

(xii) State Governments, Union Territories and Central Administered Areas.

(xiii) Minerals & Metals Trading Corporation of India Ltd., New Delhi.

(xiv) Hindustan Steel Ltd., Ranchi.

(xv) Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry, New Delhi.

(xvi) Indian Mining Association, Calcutta;

(xvii) Indian Mining Federation, Calcutta.

(xviii) Indian Colliery Owners' Association, Dhanbad;

(xix) Indian Non-ferrous Metals Manufactures' Association, Calcutta.

(xx) Utkal Mining & Industrial Association, Calcutta.

(xxi) Indian Ferro Alloy Producers' Association, Bombay.

(xxii) Goa Mineral Ore Exporters' Association, Panjim.

(xxiii) Mysore State Mine Owners' Association, Bangalore;

(xxiv) Rajasthan Industrial & Mining Association, Bilwara;

(xxv)	(a) Geological, Mining & Metallurgical Society of India, Calcutta, (b) Mining, Geological & Metallurgical Institute of India, Calcutta,	By rotation for one calendar year each.
(xxvi)	(a) Tata Iron & Steel Co. Ltd., Jamshedpur; (b) Indian Iron & Steel Co. Ltd., Calcutta.	do
(xxvii)	(a) Madhya Pradesh & Vidharbha Mining Association, Nagpur. (b) Mineral Industry Association, Nagpur.	do
(xxviii)	(a) Western India Minerals Association, Bombay. (b) Bombay Region Mine Owners' Association.	do
(xxix)	(a) Madras Mica Association, Gudur; (b) South India Mica Mine Owners' Association.	do
(xxx)	(a) Kodarma Mica Mining Association, Kodarma; (b) Bihar & Orissa Mica Association, Giridih;	do

C. S. VENUGOPALA RAO, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th May 1965

No. F.6-4/65-AE.—The Government of India have decided to constitute a Panel of Leading Progressive Agriculturists to advise on implementation of the agricultural programmes in the different fields.

2. *COMPOSITION*

The composition of the Panel will be as under :—

1. Shri J. Raghotham Reddy,
"Brindavan"
173, Fateh Maidan,
North Road,
Hyderabad-4 (Andhra Pradesh).

2. Shri Alapati Suryanaravana,
Landlord & Agriculturist,
Edlapalli, Tenali Taluk,
Guntur District, (Andhra Pradesh).

3. Shri K. N. Kakati, B.Sc.,
Model Farm Organiser,
Chamata, (Assam).

4. Shri Dinesh Kumar Singh, M.L.C.,
Kursela Estate,
P.O. Ajodhyaganj Bazar,
Purnea (Bihar).

5. Shri D. S. Sawhny,
Sawhny's Fruit Farms,
Batpura, Nasim Bagh, P.O.,
(Jammu & Kashmir).

6. Shri R. P. Swamiappa Gounder,
Landlord,
"Murugan Arul" Bhavnam,
Ramavarmapuram Pudur,
Kozhinjampara P.O.,
(Kerala).

7. Shri V. G. Sukmaran,
President, Kerala State Farmers' Forum,
Erimayur P.O. District Palghat,
(Kerala).

8. Shri Raghunath Singh Kiledar,
Ex-Member of the Lok Sabha,
Village Bhugwara, P.O. Kareli,
District Narsinghpur,
(Madhya Pradesh).

9. Shri R. Srinivasan,
"Farm House",
Athur, Chingleput (Madras).

10. Shri Sabati Perumal Pillai,
Advocate & Member I.C.A.R. (Hort. Comm.),
Shencottah, Tirunelveli District,
(Madras).

11. Shri R. P. Naik,
Pusad, District Yeotmal,
(Maharashtra).

12. Shri H. G. Patil,
Branch Secretary,
Gokhale Education Society's Kosbad Centre,
Kosbad-Hill Station,
Gholvad, (Western Railway),
District Thana, (Maharashtra).

13. Shri Satwant Singh,
Nasirpur Farm,
P.O. Bahadurgarh Fort,
Patiala (Punjab).

14. Shri Chandi Dan,
Manager,
Detha Bandhu Agricultural Farm,
Borunda, District Jodhpur,
(Rajasthan).

15. Shri H. D. Chowdiah, B.Sc. (Agri.),
President, Taluk Board,
Mandya (Mysore).

16. Shri B. K. Narayana Rao,
Belmar Estate,
Village Dasarahalli,
North Taluk,
Bangalore-22 (Mysore).

17. Shri Bhanu Pratap Singh,
Sohna Krishi Farm,
P.O. Sohna, District Basti,
(Uttar Pradesh).

18. Shri Virendra Varma,
President, District Krishak Samaj,
Shamli, District Muzaffarnagar,
(Uttar Pradesh).

19. Shri Rash Bihari Choudhury,
Chairman, Padam Banga Krishak Samaj,
118/B, Madan Mohan Burman Street,
Calcutta-12. (West Bengal).

20. Shri Lakshmi Narayan Hazra,
Mandia Farm,
P.O. Medinipur-Gram,
Via Onda, District Bankura,
Rly. Stn. Ondagram, S. E. Rly.,
(West Bengal).

Two more farmers will be added to Panel at a later date.

3. *Convenor of the Panel*

The Extension Commissioner in the Department of Agriculture will act as the convenor of the Panel.

4. *Rules of Procedure*

The Panel will meet as often as necessary and consider and advise on matters referred to it by the Minister for Food and Agriculture, who will be the Chairman of the Panel.

Matters could be referred to it by the Food Corporation of India.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED that the Resolution may be communicated to all concerned.

B. SIVARAMAN, Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th May 1965

No. 1-*T*(150)/64.—The need for the formation of viable transport units has been generally recognised and inducements have been offered to operators for this purpose, but the road transport industry continues to be mostly in the hands of single vehicle owners. The organisation of the industry on proper lines has assumed importance in the context of our programme for production of commercial vehicles and development of the road transport system in the Fourth Plan period. Unless effective measures are taken, without further delay, it will become increasingly difficult to administer the regulatory provisions of the Motor Vehicles Act, 1939, and also to ensure economic and dependable transport services to the public. This is a matter in which uniformity of policy and concerted action are essential in all the States.

2. It has been suggested in this connection that grant of statutory recognition or, in any case, Government patronage to associations of transport operators, with functions and responsibilities wider than those of the existing automobile associations, which serve the interests of private car owners, will contribute to improve the industry.

8. The matter was given careful consideration by the Transport Development Council at its meeting held in July, 1964. The Council recommended that the Union Ministry of Transport should set up a Study Group to examine the implications of the suggestion, mentioned in para 2 above, and also to make a comprehensive examination of the entire problem of formation of viable transport units.

4. It has accordingly been decided to appoint a Study Group consisting of the following :—

Chairman

1. Shri S. Mullick, Transport Secretary, Government of West Bengal.

Members

2. Shri Y. S. Kasbekar, Director of Transport, Maharashtra, Bombay.
3. Shri D. P. Verun, Deputy Transport Commissioner (Administration), Uttar Pradesh.
4. Shri C. Sundaramoorthy, Deputy Transport Commissioner, Madras.
5. Shri Humayun Yar Khan, Transport Commissioner, Andhra Pradesh.
6. Shri R. B. Mathur, Senior Research Officer, Planning Commission.
7. Shri Kundan Lal, Secretary-General, All India Motor Unions' Congress, New Delhi.
8. Shri T. S. Santhanam, 37, Mount Road, Madras-6.
9. Shri Manohar Singh Dhody, Singh Transport Company, 275 Reay Road, Bombay-10.

Member-Convenor

10. Shri A. S. Bhatnagar, Deputy Secretary, Ministry of Transport.

5. The terms of reference of the Study Group will be as follows : —

(i) To suggest the size of viable unit for stage-carriages, taxis and public carriers and the practical steps necessary to promote them;

(ii) To consider the feasibility of establishing one or more organisations in each State, with a net work of branches at important traffic centres, for (a) providing servicing, breakdown relief and repair facilities; (b) constructing ware-houses, terminals and rest houses for truck and bus drivers in transit, (c) setting up booking, collecting, forwarding and distributing agencies; (d) running training institutions for drivers and conductors; (e) arranging audit services; (f) settling tax liabilities; and (g) rendering other similar services to members;

(iii) To study the role of State Transport Undertakings in organisations of the kind mentioned in (ii) above;

(iv) To suggest the privileges and responsibilities that should be vested in such organisations; and

(v) To recommend any other measures that may be necessary to organise the industry on proper lines.

6. The headquarters of the Study Group will be at New Delhi but it will be free to visit such places as it may consider necessary for the purpose of its work.

7. The Study Group will submit its report within a period of nine months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India, for general information.

PORTS

RESOLUTION

New Delhi-1, the 28th April 1965

No. 6-*PG*(53)/64.—The Government of India have received the Administration Report of the Port of Cochin for the year 1963-64. The salient features of the Report are given below :—

(1) *FINANCIAL RESULTS*

(a) *Port Fund* : The revenue Receipts of the Port (excluding the Pilotage Account and Special Receipts) during the year were Rs. 167.38 lakhs as compared to Rs. 136.04 lakhs during 1962-63. The rise in income was mainly due to increase in receipts from Imports, Cranage and hire of plant, Lands and buildings and Interest and Miscellaneous.

The expenditure (excluding that charged to the Pilotage Account and contributions to the Reserve Funds and Capital Account) during the year under review was Rs. 125.14 lakhs as against Rs. 126.25 lakhs in 1962-63.

A contribution of Rs. 25 lakhs was made to the Capital Account and the following contributions to the various Reserve Funds :

	Amount (Rs. in lakhs)
Revenue Reserve Fund	1.00
Accident Fund	0.99
Renewal and replacement Fund	2.98

(b) *Pilotage Account*: The gross income and expenditure during 1963-64 were Rs. 7.19 lakhs and Rs. 5.06 lakhs respectively, resulting in a surplus of Rs. 2.13 lakhs.

(c) *Reserve Funds* : The position with regard to the balances in the various funds at the end of the year was satisfactory.

(d) *Debt* : The aggregate of debt charges during the year under review amounts to Rs. 23.88 lakhs as against Rs. 19.24 lakhs in the preceding year. The outstanding debt of the port at the close of the financial year stood at Rs. 340.49 lakhs out of which a sum of Rs. 285.66 lakhs was due to the Government of India and the balance to the Government of Kerala.

(2) *TRAFFIC*

(a) *Trade* : The total dead weight tonnage of imports which passed through the port during the year 1963-64 was 20.34 lakh tonnes as against 19.59 lakh tonnes in the previous year, registering an increase of 0.75 lakh tonnes or 3.82 percent. The increase was mainly due to more imports in mineral oil, cashewnuts, Machinery, Salt and other miscellaneous commodities.

The exports during the year 1963-64 amounted to Rs. 4.22 lakh tonnes as against 4.03 lakh tonnes in the previous year, showing an increase of 0.19 lakh tonnes. The increase was due to exports of Coir Produce, Rubber, Pepper, Copra, Prawns and other miscellaneous commodities.

(b) *Passenger Traffic* : The total number of passengers embarked and disembarked during the year was 1,446 and 1,892 respectively as against 1,690 and 1,646 during the previous year.

(c) *Shipping* : The number of vessels, excluding sailing vessels, which entered the port during 1963-64 was 1,356 with a tonnage of 46.48 lakhs. The corresponding figures for the previous year were 1,330 vessels and 44.80 lakh tonnes. 113 sailing vessels with a tonnage of about 13,000 visited the port during the year as against 131 with a tonnage of about 16,000 during 1962-63.

I.N.S. 'Vikrant' of 704' O.A. was the longest vessel which entered the Port during the year. M V. 'Border Chieftain' of 569' O.A. and 13,238 G.R.T. was the longest and biggest and s.s. "Caltex Glasgow" with 31' draft was the deepest of the merchant vessels that entered the port during the year.

(3) *LABOUR AND WELFARE MEASURES*

The number of scholarships granted to the children of the employees was 66 during the year. The amenities already provided such as library and reading room, indoor and outdoor games, medical aid, etc., were continued as usual. These amenities were extended to the porterage labour also.

The relations between the Trade Unions and the Administration continued to be cordial. A sum of Rs. 1.28 lakhs was paid by way of retrenchment compensation to workmen consequent on the completion of the Four Berths Projects.

(4) *CAPITAL WORKS*

The work of construction of four additional wharf berths in the Ernakulam channel with ancillary facilities, which was started in April 1955, was completed and all the four berths put into commission by August, 1963. The work relating to the construction of Tanker Berths in the Ernakulam channel and the second Coal berth and the extension to Cochin Port Trust Hospital was nearing completion. The only remaining work was the provision of floating fenders, which was also nearing completion.

Other works such as dredging and reclamation, construction of transit sheds, construction of railway sidings, road and drains inside the wharf area and laying of pipe line for bunkering oil made substantial progress. Preliminary works regarding the construction of an open berth in the Ernakulam channel was also in progress.

(5) *MISCELLANEOUS*

A Port Trust Board was constituted for the port under the Major Port Trusts Act, 1963, with effect from the 29th February, 1964. The first meeting of the Board was held on the 24th March, 1964.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and also published in the Gazette of India.

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 25th May 1965

No. 7/7/61-GB/FBP.—In the Ministry of Irrigation and Power Resolution No. F. 7/7/61-GB, dated the 29th June, 1961, as amended by Resolutions No. 7/7/61-GB, dated the 22nd July, 1961, No. 7/7/61-GB/FBP, dated the 31st May, 1962, No. F. 7/7/61-GB, dated the 15th November, 1962, and No. 7/7/61-GB/FBP, dated the 7th November, 1963, regarding the constitution of the Technical Advisory Committee of the Farakka Barrage Control Board, the following entries against Sl. No. 2(6) may be deleted :—

"(6) Dr. N. K. Bose, Honorary Adviser to the Irrigation and Waterways Department, Government of West Bengal *Member*".

2. In paragraph 2, the existing serial numbers "(7) and (8)" may be renumbered as "(6) and (7)".

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the State Governments, the Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President and the Planning Commission, for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and the Government of West Bengal be requested to publish the same in the State Gazette for general information.

P. R. AHUJA, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 25th May 1965

No. EL.I.15(3)/65.—Frequent failures, which occurred recently in the supply of electricity due to faults in Damodar Valley Corporation and Durgapur Projects' Generating Stations and in the West Bengal State Electricity Board's Transmission lines have been engaging the attention of the Government of India for sometime. In order to probe into the causes of these failures in supply and to recommend steps to prevent their recurrence including measures for the reinforcement of the existing transmission system in West Bengal, the Government of India, have decided to constitute a Committee comprising the following :—

1. Shri A. K. Bhaumik,
   Electrical Engineer and Member,
   West Bengal State Electricity Board and Chief Electrical Engineer and Electrical Adviser to the Government of West Bengal, Calcutta.
2. The Chief Electrical Engineer,
   Bihar State Electricity Board, Patna.
3. The Chief Electrical Engineer,
   Damodar Valley Corporation,
   Anderson House, Alipore, Calcutta-27.
4. The General Superintendent (General),
   Durgapur Projects' Power Station,
   Durgapur Project Ltd., Calcutta.
5. The Chief Engineer,
   Calcutta Electric Supply Corporation Ltd.,
   Calcutta.
6. The Chief Electrical Engineer,
   South Eastern Railway, Calcutta.
7. Shri V. Venugopalan,
   Member,
   Central Water & Power Commission,
   (Power Wing) New Delhi. *Convenor.*

The Committee will submit its report within one month.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Governments of West Bengal and Bihar, Chairman, Damodar Valley Corporation, Calcutta, General Manager, South Eastern Railway, Calcutta, General Manager, Calcutta Electric Supply Corporation Ltd., Calcutta, All Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, the Private and Military Secretary to the President, Comptroller & Auditor General of India and the Planning Commission for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and the Governments of West Bengal and Bihar be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

V. NANJAPPA, Secy.

RESOLUTION

New Delhi, the 28th May 1965

No. DW.V. 510(3)/65.—In order to devise long-term measures for the protection of Chitauni Bund from the ravages of the river Great Gandak, the Government of India, in consultation with the Ministry of Railways, the Government of Uttar Pradesh and the Government of Bihar, have decided to constitute a Technical Committee.

2. The Committee shall consist of :—

Chairman

1. Chairman, Central Water & Power Commission, New Delhi.

Members

2. Chief Engineer (Irrigation), Uttar Pradesh, Lucknow.
3. Chief Engineer (Irrigation), Bihar, Patna.
4. Chief Engineer, North-Eastern Railway, Gorakhpur.

Member Secretary

5. Chief Engineer, Flood Control, CW&PC, New Delhi.

The terms of reference of the Committee shall be :—

(1) To review the flood problem of the river Great Gandak with particular reference to the reach on the right bank downstream of the tri-junction of the Nepal-U.P.-Bihar border up to Chitauni ghat.

(2) To make an assessment of the protection afforded in the past by the Chitauni bund together with its various protective works constructed on the right bank of the river by the U.P. Government.

(3) To study the causes responsible for inadequate protection in the past by this embankment during the flood season of certain years.

(4) To lay down standards to which the bund and its various protective works should be built so as to be effective and secure and to make recommendations for improvements in the system, for achieving these objectives.

The Committee will submit its report by the end of June 1965.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to the State Governments of Uttar Pradesh, Bihar,/All the Ministries of Government of India/ Prime Minister's Secretariat/ the Private and Military Secretary to President/the Comptroller and Auditor General of India/the Planning Commission, for information.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar be requested to publish it in the State Gazette for general information.

K. G. R. IYER, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 24th May 1965

No. 7/3/65-FI (SA).—It is hereby notified that in pursuance of rule 28 of the Rules concerning the State Awards for Films, published in the Resolution of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 7/19/64-FI, dated the 21st November, 1964, Government have, on the basis of the recommendations submitted by the

[Central Committee and the Regional Committees of State Awards for Films, 1964, decided to give Awards to the following films, namely:—

S. No.	Title of the Film	Name of Producer/ Director/Story-writer	Awards
		I. ALL-INDIA AWARDS	
		Feature Films	
1.	CHARULATA (Bengali)	*Producer:* Shri R.D. Bansal, 45, Dharamtolla Street, Calcutta-13. *Dierector :* Shri Satyajit Ray, 3, Lake Temple Road, Calcutta-29.	President's Gold Medal and a Cash Prize of Rs. 20,000 (Rupees twenty thousand) only to its producer and Rs. 5,000/(Rupees five thousand) only to its director.
2.	HAQEEQAT (Hindi)	*Producer :* Shri Chetan Anand, 2, Ruia Park, Juhu, Bombay-54. *Director :* Shri Chetan Anand, 2, Ruia Park, Juhu, Bombay-54.	All-India Certificate of Merit and a a Cash Prize of Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand) only to its producer and Rs. 2,500/- (Rupees two thousand and five hundred) only. to its director.
3.	UNNAIPOL ORUVAN (Tamil)	*Producer :* Shri D. Jayakanthan, c/o Aasiya Jothi Films, 2, Danakotiammal St., Madras-18.	All-India Certificate of Merit.
4.	AAROHI (Bengali)	*Story-writer :* Shri Balaichand Mukherjee, Solkuthi Adampur, P. O. Bhagalpur (Bihar).	All-India Certificate of Merit for the best story-writer.
		DOCUMENTARY FILMS	
1.	APOSTLE OF THE INDIES (English)	*Producer :* Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26. *Director :* Shri T. A. Abraham c/o Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	All-India Certificate of Merit and a Cash Prize of Rs. 1,000/- (Rupees one thousand) only to its producer and Rs. 250/- (Rupees two hundred and fifty) only to its director.
2.	ONE DAY (English)	*Producer :* Shri Jagat Murari, Principal, Film Institute of India, Chiplunkar Road, Poona-4. *Director :* Mr. Michel Wyn, I.D.H.E.C., 92, Champs Elysees, Paris.	All-India Certificate of Merit and a Cash Prize of Rs. 1,000/-(Rupees on thousand) only to its producer and Rs. 250/- (Rupees two hundred and fifty) only to its director.
3.	ALL UNDER HEAVEN BY FORCE (English)	*Producer :* Shri J. B. H. Wadia, Wadia Movietone, Zaveri Building, 136, Chamarbagh Road, Parel, Bombay-12.	All-India Certificate of Merit.
4.	AND MILES TO GO (English)	*Producer :* Shri S. Sukhdev, 27, Radha Bhavan, King Circle, Bombay-19.	All-India Certificate of Merit.
		EDUCATIONAL FILMS	
1.	STERILISATION OF THE FEMALE (English)	*Producer :* Films Division, 24-Peddar Road, Bombay-26.	All-India Certificate of Merit
		II. REGIONAL AWARDS	
		FEATURE FILMS	
		(*a*) *English*	
1.	THE AVALANCHE	*Producer :* Shri Serbjeet Singh, c/o Deepak Desai, Matunga, Bombay-19	President's Silver Medal.
		(*b*) *Hindi*	
1.	DOSTI	*Producer :* Shri Tara Chand Barjatya, Rajshri Productions (P) Ltd., Tardeo Building, Tardeo, Bombay-34.	President's Silver Medal.
2.	YAADEIN	*Producer :* Shri Sunil Dutt, 58, Pali Hill, Bandra, Bombay.	Certificate of Merit.
3.	GEET GAYA PATTHARONE	*Producer :* V. Shantaram Productions Pvt. Ltd., 'Shantshree', Government Gate Road, Parel, Bombay-12 DD.	Certificate of Merit.
		(*c*) *Kashmiri*	
1.	MAINZ-RAAT	*Producer:* Shri M.R. Seth, 'Prakash Nivas', New Colony, 137, Kurla Road, Andheri (East), Bombay-69.	President's Silver Medal.
		(*d*) *Marathi*	
1.	PATHLAAG	*Producer :* Shri Raja Paranjpe, Nami Niwas, Tilak Road, Poona-2.	President's Silver Medal.
2.	TUKA ZALASE KALAS	*Producer :* Shri N.G. Datar, 'Jai Vijai', V Road, Ghatkopar, Bombay-77.	Certificate of Merit.
3.	SAWAL MAZA AIKA	*Producer:* Shri Anant Govind Mane, 759/51, Deccan Gymkhana, Poona-4.	Certificate of Merit.
		(*e*) *Punjabi*	
1.	JAGGA	*Producer :* Shri K. B. Chadha, Messrs. Filmage, 200, Famous Cine Building, Mahalaxmi, Bombay-11.	President's Silver Medal.
		(*f*) *Assamese*	
1.	PRATIDHWANI	*Producer :* Kamrup Chitra, 77/B, Golf Club Road, Calcutta-33.	President's Silver Medal.
		(*g*) *Bengali*	
1.	AAROHI	*Producer :* Shri Asim Pal, 11-C, Dilkhusa Street, Calcutta-17.	Predsident's Silver Medal.
2.	ANUSTUP CHHANDA	*Producer :* B. K. Productions, 1/A, Victoria Chambers, Calcutta-13.	Certificate of Merit.

(*h*) *Oriya*

1. SADHANA	*Producer :* Diamond Valley Productions (P) Ltd., Sambalpur, Orissa.	President's Silver Medal.
2. NABA JANMA	*Producer :* Pancha Sakha Pictures, Bhagatpur, Cuttack-1.	Certificate of Merit.

(*i*) *Kannada*

1. CHANDAVALLIYA THOTA	*Producer :* Pals & Co. 7, Woods Road, Mount Road, Madras-2.	President's Silver Medal.
2. NAVAJEEVANA	*Producer :* Shri U. S. Vadhiraj, Shri U. Jawahar, Sri Bharathi Chitra, 29, G. Koil Street, Madras-17.	Certificate of Merit.
3. MANE ALIYA	*Producer :* Shri A. V. Subba Rao, 120, Habibullah Road, T' Nagar, Madras-17.	Certificate of Merit.

(*j*) *Malayalam*

1. THACHOLI OTHENAN	*Producer :* Chandrathara Productions, 32-Venkatanarayana Road, Madras-17.	President's Silver Medal.
2. AADYA KIRANANGAL	Shri V. Abdulla, M/s. Chitrasagar, 18, G. N. Chetty Road, T' Nagar, Madras-17.	Certificate of Merit.
3. KUDUMBINI	*Producer :* Shri P. A. Thomas, 1-J, Dr. C. P. Ramaswamy, Iyer Road, Madras-18.	Certificate of Merit.

(*k*) *Tamil*

1. KAI KODUTHA DEIVAM	*Producer :* Shri M. S. Velappan, 15, G. N. Chetty Rd., Madras-17.	President's Silver Medal.
2. PAZHANI	*Producer :* Bharathamatha Pictures, 12-First Cross Street, Trustpuram, Madras-24.	Certificate of Merit.
3. SERVER SUNDARAM	*Producer :* A. V. M. Productions, Arcot Road, Madras-26.	Certificate of Merit.

(*l*) *Telugu*

1. DOCTOR CHAKRAVARTI	*Producer :* Shri D. Madhusudana Rao, M/s. Annapurna Pictures (P) Ltd., 34-Bhagirathammal Street, T' Nagar, Madras-17.	President's Silver Medal.
2. RAMADASU	V. N. Films, 33, Damodara Reddy Street, Madras-17.	Certificate of Merit.

H. N. AGARWAL, Dy. Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965